क्रम-संख्या–191 (क–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022

आश्विन 7, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 496/79-वि-1-2022-1-क-9-2022

लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022 जिससे माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2022 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2022)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 6 सितम्बर, 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1921 की धारा 7 का संशोधन

2–इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 7 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"अपनी परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् नवीन स्व–वित्तपोषित हाईस्कूलों तथा इण्टरमीडिएट कालेजों को मान्यता प्रदान किया जाना :

परन्तु यह कि इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,–

उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की कोई बात, इस उपधारा के अधीन मान्यता प्राप्त किसी नवीन स्व-वित्तपोषित विद्यालय के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।"

निरसन और व्यावृत्ति

3–(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2022 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2022

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

राज्य में माध्यमिक शिक्षा प्रणाली और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का विनियमन तथा पर्यवेक्षण करने हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना करने के लिए इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1921) अधिनियमित किया गया है। परिषद की शक्तियाँ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 7 में उल्लिखित हैं। वर्ष 1987 में एक नई धारा 7–क बढ़ायी गयी जिसके खण्ड–क में यह उपबंधित है कि परिषद, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी संस्था को किसी नये विषय या विषय समूह में या किसी उच्चतर कक्षा के लिये मान्यता प्रदान कर सकती है। उक्त धारा के अनुसरण में परिषद द्वारा नये विद्यालयों को मान्यता प्रदान की जाती रही । मा0 उच्च न्यायालय ने विशेष अपील संख्या 25/2006 (मन्जू अवस्थी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में यह स्पष्ट किया है कि वास्तव में धारा 7-क(क) में बोर्ड को, नवीन स्व-वित्तपोषित विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति का उपबंध नहीं है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त विसंगति का निराकरण करने के लिये पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 7 को संशोधित किये जाने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 6 सितम्बर, 2022 को इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2022) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 496(2)/LXXIX-V-1–2022-1-ka-9-2022
Dated Lucknow, September 29, 2022

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Intermediate Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 2022) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 29, 2022. The Madhyamik Shiksha Anubhag-7 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE INTERMEDIATE EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2022

(U.P. Act no. 10 of 2022)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Intermediate Education Act, 1921.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy third Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Intermediate Education (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from September 6, 2022.

Amendment of section 7 of U.P. Act no. 2 of 1921

2. *For* sub-section (4) of section 7 of the Intermediate Education Act, 1921, the following sub-section shall be *substituted,* namely :–

"To recognize new self-financed High Schools and Intermediate Colleges for the purposes of its examination, after the prior approval of the State Government:

Provided that notwithstanding anything contained in this Act, nothing in the Uttar Pradesh High School and Intermediate Colleges (Payment of Salaries of Teachers and other Employees) Act, 1971 or the Uttar Pradesh Secondary Education Services Board Act, 1982, shall apply in relation to the new self-financed school granted recognition under this sub-section."

U.P. Ordinance no. 7 of 2022

Repeal and saving

3. (1) The Intermediate Education (Amendment) Ordinance, 2022 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENTS OF OBJECTS AND REASONS

The Intermediate Education Act, 1921 (U.P. Act no. 2 of 1921) has been enacted to establish a Board of High School and Intermediate Education to regulate and supervise the system of High School and Intermediate Education in the State and the matters connected therewith or incidental thereto. The powers of the Board are mentioned in section 7 of the aforesaid Act. In the year 1987, a new section 7-A was inserted, clause (a) whereof provided that the Board, may, with the prior approval of the State Government recognize an institution in any new subject or group of subjects or for a higher class. In pursuance of the said section new schools were being given recognition by the Board. The Hon'ble High Court in Special Appeal No. 25/2006 (Manju Awasthi and Ors *Vs* State of Uttar Pradesh and Ors) clarified that section 7-A (a) does not actually provide the Board with the power to recognize new self financed schools.

In view of the above, to remove the said discrepancy, It was decided to amend section 7 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Intermediate Education (Amendment) Ordinance, 2022 (U.P. Ordinance no. 7 of 2022) was promulgated by the Governor on September 6, 2022.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
PramukhSachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 567 राजपत्र–2022–(911)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 66 सा0 विधायी–2022–(912)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

567 RPH (Intermediate Siksha) 2022 data 4e adhiniyam fol.